

**FORM-1****(for linear projects)**

**Government of Uttarakhand  
Office of the District Collector Rudraprayag**

No-49

Dated-26/09/18


**TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN**

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 3.7750 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Provincial Division P.W.D. Rudraprayag** (name of user agency) for **Construction of Sumari Virangaon Jakhal Moto road under State Sector** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **Sema, Ladiyasu, Jakhal** village(s) in **Jakholi** tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

**Eucl: As above.**

  
  
**Mangesh Ghildiyal (I.A.S.)**

**(Full name and official seal of the District Collector)**

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR  
DISTRICT Rudraprayag (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mangesh Ghildiyal, I.A.S District Magistrate Rudraprayag on date 26.09.18 at time .....at Rudraprayag in which application claiming rights in Forest area measuring 3.7750 hect for the Construction of Sumari Virangaon Jakhal Motor Road under State Sector (8.075 Km) of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of S.D.M. sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag  
Dated:.....

*Mangesh*

Mangesh Ghildiyal (I.A.S.)  
District Magistrate-cum-  
Chairman, District Level  
Committee, Rudraprayag

*जिला अधिकारी*  
*रुद्रप्रयाग*

## प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत सुमाड़ी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 10 किमी0 (वास्तविक लम्बाई 8.075 किमी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र  
ग्राम पंचायत का नाम :- खंगा  
तहसील जखोली, जिला रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत सुमाड़ी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 10 किमी0 (वास्तविक लम्बाई 8.075 किमी0)) परियोजना के निर्माण हेतु (3.3775 हेतु आरक्षित वन भूमि, 0.1575 हेतु सिविल सोयम भूमि, 0.00 हेतु वन पंचायत भूमि एवं 0.2400 हेतु आरक्षित भूमि मलवा निस्तारण हेतु) अर्थात् कुल 3.7750 हेतु वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 22/06/16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम द्वारा एजेन्सी को ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-  
ग्राम सचिव



नोट :-यदि किसी आदिवासी अथवा ग्रामवासी को निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।  
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।



## प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत सुमाड़ी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 10 किमी0 (वास्तविक लम्बाई 8.075 किमी0)

दिनांक 22/06/16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत १२८

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	मेशादत नौटिप्पल ट्टा० कार्पन्दी	Natipal
(2)	राजेश्वरलाल झाँप	Rajeshwarlal
(3)	जनादेवनप्रगीड़ ५	Janadevanpragid
(4)	दोमादरू प्रसाद गोड़	Domedar
(5)	पंकज भट्ट ५/० विसाहार मारी	Pankaj
(6)	रामेश्वर गोदू ५/० कुलानन्द	Rameshwar
(7)	ठीकाराम गोड़ ५/० देवानन्द	Thikaram
(8)	दूर श्रीभट्ट ५/० सीताराम भट्ट	Door Shribhatt
(9)	संकरेश्वर ५/० गलाराम	Sankareshwari
(10)	लेलीतेर प्रसाद ५/० देवप्रसाद	Leliliter prasad
(11)	सनश्वर प्रलाल ५/० गोपीनाथ गोड़	Sanashwar
(12)	आदिलप्रराम ५/० चबालराम	Aadilpraram
(13)	जगदीपधार ५/० रुपराम	Jagadeepdhara
(14)	मानारु ५/० सुन्दराराम	Manaaru
(15)	दानेश्वर	Daneswar
(16)	उमा० श्रीदृ ५/० ज्ञानकुमार..	Uma Shreedhar
(17)	श्री कमल सिंह दंडी दत्तारेंद्र नाथराम	Shrikamal
	अलंकृ	Alankar
	Brijendra	Brijendra
	कलाम उगवाल	Kalam

संलग्न है।



## प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत सुमाड़ी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 10 किमी0 (वास्तविक लम्बाई 8.075 किमी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र  
ग्राम पंचायत का नाम :- ताडमाला  
तहसील जखोली, जिला रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत सुमाड़ी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 10 किमी0 (वास्तविक लम्बाई 8.075 किमी0)) परियोजना के निर्माण हेतु (3.3775 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.1575 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि एवं 0.2400 हे0 आरक्षित भूमि मलवा निस्तारण हेतु) अर्थात् कुल 3.7750 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।



उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ताडमाला द्वारा दिनांक 23/06/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ताडमाला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सचिव एवं सही है।

*[Signature]*  
ग्राम पंचायत राज्य  
विभाग  
ग्राम पंचायत अधिकारी  
केवल ग्राम सचिव  
विकासखण्ड  
लक्षण नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।



## प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत सुमाड़ी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 10 किमी0 (वास्तविक लम्बाई 8.075 किमी0)

दिनांक 23/06/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत लाइब्रेरी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	पुरुष दामदारी नाना	पुरुष दामदारी
(2)	विक्कमेरोह नाना	विक्कमेरोह नाना
(3)	कातिक शेष	कातिक शेष
(4)	प्रदेशी	प्रदेशी
(5)	धर्मलाल	धर्मलाल
(6)	मध्यवर्षी	मध्यवर्षी
(7)	कुमलसरालाल S. गोप्तव्य	कुमलसरालाल
(8)	विश्व लाल	विश्व लाल
(9)	अनुप धूमधू लाल	अनुप धूमधू
(10)	स्त्रीरता देवी	स्त्रीरता देवी
(11)	मनीष लाल	मनीष लाल
(12)	धरेज लाल	धरेज लाल
(13)	रुद्रका देवी	रुद्रका देवी
(14)	सुमी का	सुमी का
(15)	विविलाल ५० मुत्तुलाल मीना हुक दीपालाल	विविलाल ५० मुत्तुलाल मीना हुक दीपालाल

संलग्न है।



## प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :— जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत सुमाड़ी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 10 किमी0 (वास्तविक लम्बाई 8.075 किमी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :— जाखाल

तहसील जखोली, जिला रुद्रप्रयाग

### अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत सुमाड़ी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 10 किमी0 (वास्तविक लम्बाई 8.075 किमी0)) परियोजना के निर्माण हेतु (3.3775 हेतु आरक्षित वन भूमि, 0.1575 हेतु सिविल सोयम भूमि, 0.00 हेतु वन पंचायत भूमि एवं 0.2400 हेतु आरक्षित भूमि मलवा निस्तारण हेतु) अर्थात् कुल 3.7750 हेतु वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जाखाल द्वारा दिनांक 23/06/19

को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जाखाल के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हेतु  
ग्राम पंचायत अधिकारी  
ग्राम सचिव  
ग्राम पंचायत अधिकारी



नोट :—यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

## प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु०मं०घो०) के अन्तर्गत सुमाड़ी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 10 किमी० (वास्तविक लम्बाई 8.075 किमी०)

दिनांक 23/06/16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत जाखोली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
१	रामलीला चौहान वर्तवाल	रामलीला चौहान
२	कालिकांडु	अंशु लेला
३	उमरीदेवी ५० गोपालगांड -	उमरीदेवी
४	शुभेश ५१ वर्तवाल	शुभेश १०.३१६७
५	बैपडी देवी ५० काशीराम -	Roshan Singh
६	आशा देवी ५० गंदेपालगांड	आशा देवी
७	गुबान चौहान -	गुबान चौहान
८	श्री वर्कन चौहान ५० ओल्लु चौहान	वर्कन चौहान
९	पवन ५१ ५१५० प्रताप सिंह	पवन चौहान पवन साह
१०	शुभानु चौहान ५० घनामण्ड	शुभानु चौहान
११	बहाला चौहान ५० कवन चौहान	बहाला चौहान
१२	उमरा देवी स्वर्गीय ३३ मादानी	उमरा देवी
१३	कालिका चौहान	कालिका चौहान
१४	पर्वत ५१ गांगामण्ड ५० दुष्टी चौहान	पर्वत चौहान
१५		
१६		
१७		
१८		
१९		
२०		
२१		
२२		
२३		
२४		
२५		
२६		
२७		
२८		
२९		
३०		
३१		
३२		
३३		
३४		
३५		
३६		
३७		
३८		
३९		
४०		
४१		
४२		
४३		
४४		
४५		
४६		
४७		
४८		
४९		
५०		
५१		
५२		
५३		
५४		
५५		
५६		
५७		
५८		
५९		
६०		
६१		
६२		
६३		
६४		
६५		
६६		
६७		
६८		
६९		
७०		
७१		
७२		
७३		
७४		
७५		
७६		
७७		
७८		
७९		
८०		
८१		
८२		
८३		
८४		
८५		
८६		
८७		
८८		
८९		
९०		
९१		
९२		
९३		
९४		
९५		
९६		
९७		
९८		
९९		
१००		
१०१		
१०२		
१०३		
१०४		
१०५		
१०६		
१०७		
१०८		
१०९		
११०		
१११		
११२		
११३		
११४		
११५		
११६		
११७		
११८		
११९		
१२०		
१२१		
१२२		
१२३		
१२४		
१२५		
१२६		
१२७		
१२८		
१२९		
१३०		
१३१		
१३२		
१३३		
१३४		
१३५		
१३६		
१३७		
१३८		
१३९		
१४०		
१४१		
१४२		
१४३		
१४४		
१४५		
१४६		
१४७		
१४८		
१४९		
१५०		
१५१		
१५२		
१५३		
१५४		
१५५		
१५६		
१५७		
१५८		
१५९		
१६०		
१६१		
१६२		
१६३		
१६४		
१६५		
१६६		
१६७		
१६८		
१६९		
१७०		
१७१		
१७२		
१७३		
१७४		
१७५		
१७६		
१७७		
१७८		
१७९		
१८०		
१८१		
१८२		
१८३		
१८४		
१८५		
१८६		
१८७		
१८८		
१८९		
१९०		
१९१		
१९२		
१९३		
१९४		
१९५		
१९६		
१९७		
१९८		
१९९		
२००		
२०१		
२०२		
२०३		
२०४		
२०५		
२०६		
२०७		
२०८		
२०९		
२१०		
२११		
२१२		
२१३		
२१४		
२१५		
२१६		
२१७		
२१८		
२१९		
२२०		
२२१		
२२२		
२२३		
२२४		
२२५		
२२६		
२२७		
२२८		
२२९		
२३०		
२३१		
२३२		
२३३		
२३४		
२३५		
२३६		
२३७		
२३८		
२३९		
२४०		
२४१		
२४२		
२४३		
२४४		
२४५		
२४६		
२४७		
२४८		
२४९		
२५०		
२५१		
२५२		
२५३		
२५४		
२५५		
२५६		
२५७		
२५८		
२५९		
२६०		
२६१		
२६२		
२६३		
२६४		
२६५		
२६६		
२६७		
२६८		
२६९		
२७०		
२७१		
२७२		
२७३		
२७४		
२७५		
२७६		
२७७		
२७८		
२७९		
२८०		
२८१		
२८२		
२८३		
२८४		
२८५		
२८६		
२८७		
२८८		
२८९		
२९०		
२९१		
२९२		
२९३		
२९४		
२९५		
२९६		
२९७		
२९८		
२९९		
२१०		
२११		
२१२		
२१३		
२१४		
२१५		
२१६		
२१७		
२१८		
२१९		
२११०		
२१११		
२११२		
२११३		
२११४		
२११५		
२११६		
२११७		
२११८		
२११९		
२१११०		
२११११		
२१११२		
२१११३		
२१११४		
२१११५		
२१११६		
२१११७		
२१११८		
२१११९		
२११११०		
२१११११		
२११११२		
२११११३		
२११११४		
२११११५		
२११११६		
२११११७		
२११११८		
२११११९		
२१११११०		
२११११११		
२१११११२		
२१११११३		
२१११११४		
२१११११५		
२१११११६		
२१११११७		
२१११११८		
२१११११९		
२११११११०		
२१११११११		
२११११११२		
२११११११३		
२११११११४		
२११११११५		
२११११११६		
२११११११७		
२११११११८		
२११११११९		
२१११११११०		
२११११११११		
२१११११११२		
२१११११११३		
२१११११११४		
२१११११११५		
२१११११११६		
२१११११११७		
२१११११११८		
२१११११११९		
२११११११११०		
२१११११११११		
२११११११११२		
२११११११११३		
२११११११११४		
२११११११११५		
२११११११११६		
२११११११११७		
२११११११११८		
२११११११११९		
२१११११११११०		
२११११११११११		
२१११११११११२		
२१११११११११३		
२१११११११११४		
२१११११११११५		
२१११११११११६		
२१११११११११७		
२१११११११११८		
२१११११११११९		
२११११११११११०		
२१११११११११११		
२११११११११११२		
२११११११११११३		
२११११११११११४		
२११११११११११५		
२११११११११११६		

## प्रपत्र-23.2

**परियोजना का नाम :-** जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना ( $मु0मं0घो0$ ) के अन्तर्गत सुमाड़ी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 10 किमी0 (वास्तविक लम्बाई 8.075 किमी0)

**कार्यालय उप जिलाधिकारी :-** जखोली जनपद रुद्रप्रयाग अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, जखोली ।

उपखण्ड जखोली परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना ( $मु0मं0घो0$ ) के अन्तर्गत सुमाड़ी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग आरक्षित वन भूमि, 0.1575 हेतु सिविल सोयम भूमि, 0.00 हेतु वन पंचायत भूमि एवं 0.2400 हैं वन अरक्षित भूमि मलवा निस्तारण हेतु अर्थात् कुल 3.7750 हेतु वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील जखोली) की दिनांक 25/07/18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ~~निलामीपाल~~, उप माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री ~~निलामीपाल~~ उपजिलाधिकारी निलामीपाल अध्यक्ष
- 2- श्री ~~मनोज कुमार~~ उप प्रभागीय वनाधिकारी मनोज कुमार सदस्य
- 3- श्री ~~शंकर लाल~~ सहायक समाज कल्याण अधिकारी शंकर लाल सदस्य / सचिव
- 4- श्री Murli Lal वीडी0सी0 क्षेत्र TUNETA सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना ( $मु0मं0घो0$ ) के अन्तर्गत सुमाड़ी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 10 किमी0 (वास्तविक लम्बाई 8.075 किमी0) परियोजना हेतु 3.7750 हेतु वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई सामला लिखित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुंंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना ( $मु0मं0घो0$ ) के अन्तर्गत सुमाड़ी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 10 किमी0 (वास्तविक लम्बाई 8.075 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु 3.7750 हेतु वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील-जखोली, जनपद रुद्रप्रयाग।

निलामीपाल  
मनोज कुमार  
शंकर लाल  
मुरलीलाल

मुरलीलाल  
सदस्य क्षेत्र पंचायत तुलेटा  
३०१०-जखोली (रुद्रप्रयाग)

उप प्रभागीय वनाधिकारी  
रुद्रप्रयाग उप जिलाधिकारी  
३०१०-जखोली